भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3434
17 दिसंबर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रक्ताल्पता (एनीमिया) के मामले

3434. श्रीमती संध्या राय:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री बी.बी. पाटील:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्री तालारी रंगैय्या:
श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत:
डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और विशेषकर गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के मामलों की व्यापकता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान एनीमिया से पीड़ित देश की अनुमानित जनसंख्या विशेषकर गर्भवती महिलाओं का मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति, विशेषकर गरीबों में, से निबटने के लिए सरकार द्वारा राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) के कार्यान्वयन और इस दिशा में हासिल की गयी उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार, एनीमिया की व्याप्तता पुरुषों (15-49 वर्ष) में 25.0 प्रतिशत और महिलाओं (15-49 वर्ष) में 57.0 प्रतिशत है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं (15-49 वर्ष) और बच्चों (6-59 महीने) में, एनीमिया की व्याप्तता क्रमशः 52.2 प्रतिशत और 67.1 प्रतिशत है ।

महिलाओं में एनीमिया की प्राप्तता मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित गर्भवती राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार निम्नवत् है:

अंडमान निकोबार द्वीप समूह (53.7), आंध्र प्रदेश (53.7), अरुणाचल प्रदेश (27.9), असम (54.2), बिहार (63.1), छत्तीसगढ़ (51.8), , दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (60.7), दिल्ली (42.2), गोवा (41), गुजरात (62.6), हरियाणा (56.5), हिमाचल प्रदेश (42.2), जम्मू और कश्मीर (44.1), झारखंड (56.8), कर्नाटक (45.7), केरल (31.4), लक्षद्वीप (20.9), लद्दाख (78.1), मध्य प्रदेश (52.9), महाराष्ट्र (45.7), मणिपुर (32.4), मेघालय (45.1), मिजोरम (34), नागालैंड (22.2), ओडिशा (61.8), पुद्दुचेरी (42.5), पंजाब (51.7), राजस्थान (46.3), सिक्किम (40.7), तमिलनाडु (48.3), तेलंगाना (53.2), त्रिपुरा (61.5), उत्तर प्रदेश (45.9), उत्तराखंड (46.4) और पश्चिम बंगाल (62.3)।

मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की व्याप्तता का जिलावार ब्यौरा http://rchiips.org/nfhs/districtfactsheet_NFHS-5.shtml लिंक पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के स्वाथ्य की स्थिति की सुधार के लिए अनेक कदम उठाए है जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

i. **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** के अंतर्गत सभी निवारण योग्य मातृ एवं नवजात मौतों को रोकने के लिए सार्वजिनक स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को बिना किसी मनाही के आश्वस्त, सत्कारपूर्ण, सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या नि:शुल्क प्रदान की जाती है।

ii. **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)**, एक मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है।

iii. **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** के तहत, प्रत्येक गर्भवती महिला सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव हेतु पात्र है, इसमें मुफ्त परिवहन, निदान, दवाएं, अन्य उपभोग्य वस्तुएं और आहार भी शामिल हैं।

iv. **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** के अंतर्गत विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक महीने की 9 तारीख को नियत दिवस पर नि:शुल्क, आश्वस्त और गुणवत्तायुक्त प्रसव-पूर्व परिचर्या प्रदान की जाती है।

v. **लक्ष्य** – प्रसूति के दौरान एवं प्रसव के तत्काल पश्चात गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण परिचर्या प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थियेटरों में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार लाना लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य है।

vi. **मासिक ग्राम स्वास्थ्य,स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** आईसीडीएस के तालमेल में पोषण सहित मातृत्व और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के लिए आगंनवाड़ी केंद्रों पर एक आऊटरीच क्रियाकलाप है।

vii. **प्रसूति स्थल-** व्यापक आरएमएनसीएएच+एन सेवाओं के प्रावधान हेतु अवसंरचना,उपकरण और प्रशिक्षित जन शक्ति के संबंध में देश भर में 25000 से अधिक 'प्रसूति स्थलों'को सुदृढ़ किया गया है।

viii. गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरनाक संकेतों,लाभ-योजनाओं और संस्थागत प्रसवों के बारे में शिक्षित करने के लिए उन्हें **एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिकाएं** बांटी जाती हैं।

ix. **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल** गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों का एक नाम आधारित वेब-समर्थित ट्रैकिंग पोर्टल है जिससे उन्हें प्रसव पूर्व परिचर्या,संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर परिचर्या समेत नियमित और पूर्ण सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ): राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है । तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने जीवनचर्या दृष्टिकोण में महिलाओं, बच्चों और किशोरों जैसे संवेदनशील आयु वर्ग में एनिमिया को कम करने के लक्ष्य के साथ एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति की शुरूआत की। एएमबी कार्यनीति के तहत, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एनीमिया की समस्या से निपटने के क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. प्रोफिलेक्टिक आयरन और फोलिक एसिड संपूरण।
ii. वर्ष भर गहन व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) अभियान जिसमें विलंबित कॉर्ड क्लैंपिंग को सुनिश्चित करना शामिल है।
iii. डिजिटल तरीकों और परिचर्या उपचार के बिंदु का उपयोग करके एनिमिया का परीक्षण करना।
iv. मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान के साथ स्थानिक पॉकेट्स में एनिमिया के गैर-पोषण कारणों का समाधान करना।
v. IV आयरन सुक्रोज देकर/ रक्ताधान द्वारा गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया का प्रबंधन करना।
vi. उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) में गंभीर एनिमिया वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एएनएम को प्रोत्साहन प्रदान करना।
vii. मातृ स्वास्थ्य और एनीमिया मुक्त भारत के नवीन दिशा-निर्देशों के संबंध में चिकित्सा अधिकारियों और अग्र पंक्ति के कार्मिकों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास।
viii. सामुदायिक सहभागिता वाली गतिविधियों के जरिए आशाकर्मियों द्वारा जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करना और गर्भवती महिलाओं में एनिमिया केंद्रित आईईसी और बीसीसी क्रियाकलाप।

विभिन्न लाभार्थी समूहों में एएमबी- डैशबोर्ड के अनुसार आईएफए संपूरण का ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।

******

अनुलग्नक

अखिल भारतीय स्तर पर लाभार्थी समूहों में आईएफए संपूरण, 2019-20 से 2021-22 (सितंबर तक)

(करोड़ में)

लाभार्थी	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22 (सितंबर तक)
गर्भवती महिलाएं	2.6	2.6	1.3
स्तनपान कराने वाली महिलाएं	1.3	1.4	0.6
6-59 माह के बच्चे	1.7	1.6	2.0
5-9 वर्ष के बच्चे	2.8	1.4	1.9
10-19 वर्ष के बच्चे	4.5	2.4	3.0

[स्रोत: सितंबर 2021 तक एएमबी डैशबोर्ड का डेटा]